P: ISSN NO.: 2394-0344
E: ISSN NO.: 2455-0817

Remarking
Vol-II * Issue-VI* November - 2015

दलित महिला शैक्षिक कार्यक्रमों का विश्लेषणात्मक अध्ययनः उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में

सुचित्रा दिवाकर
शोध छात्रा,
राजनीति शास्त्र विभाग,
बी.बी.ए.यू., लखनऊ।

सारांश

समकालीन विश्व में प्रत्येक राज्य चाहे वह किसी भी शासन प्रणाली अथवा अर्थव्यवस्था को पोषित करता हो, अपने नागरिकों की शिक्षा के दायित्व को स्वीकार करता है। अज्ञानता के शिकंजे में फँसी अनुसूचित जाति वर्ग की ये नारियाँ आज भी शिक्षा से काफी दूर हैं और इस अशिक्षा के कारण ही वह विभिन्न शोषणों का शिकार हो जाती थीं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बाहुल्य प्रदेश है यहाँ पर उद्योग व कल–कारखानों की संख्या भी नदारद हैं। यहाँ बन्दरगाह तटीय प्रदेश भी नहीं है, जहाँ आयात–निर्यात को राज्य की आमदनी का जरिया बनाया जा सके। साक्षरता दर भी औसत 58 प्रतिशत है तथा प्रतिव्यक्ति की आय भी कम है। परन्तु इस राज्य के पास जो संसाधन प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं वह है कार्यशील जनसंख्या। भारत सरकार ने समय–समय पूरे देश में अनेक कल्याणकारी तथा रोजगारपरक योजनाओं का कार्यान्वयन किया इससे उत्तर प्रदेश भी लाभान्वित हुआ। ट्राईसेम स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना, पुरा, आदि इसके उदाहरण कहे जा सकते है परन्तु मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना उत्तर प्रदेश के परिवेश में सर्वाधिक अनुकूल तथा सहज प्रतीत होती है। स्वतन्त्रता के बाद कुछ ऐसे समाज सुधारक अवश्य हुए जिन्होंने इन महिलाओं को शिक्षा का महत्त्व बताया और समाज में अपनी जगह बनाने के लिए आगे बढ़ने को कहा, क्योंकि शिक्षा के अभाव में ये महिलाएँ अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकती थीं और यदि करना भी चाहती थी तो समाज के कुछ अराजक तत्व इनको आगे बढ़ने से रोकते थे। स्वतन्त्रता से पूर्व गाँधी जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वंचित वर्ग की इन महिलाओं की शिक्षा प्राप्ति में सहायता की थी। इनके प्रयासों से अनुसूचित जाति वर्ग की बालिकाओं की साक्षरता दर में वृद्धि तो हुई परन्तु आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। शोध अध्ययन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य में दलित महिला शिक्षा के स्वरूप पर दृष्टि डालते हुऐ विभिन्न योजनाओं व उनके लिऐ चलाऐ जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों का अध्ययन करेंगे।

मुख्य शब्द : शिक्षा वंचित वर्ग, दलित महिला प्रशिक्षण, शैक्षिक समृद्धि, स्वतन्त्रता, मानवीय पूँजी में निवेश, धनात्मक सम्बन्ध, क्रियाशील जनसंख्या, कल्याणकारी योजनाएँ, अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता आदि।

प्रस्तावना

समकालीन विश्व में प्रत्येक राज्य चाहे वह किसी भी शासन प्रणाली अथवा अर्थव्यवस्था को पोषित करता हो, अपने नागरिकों की शिक्षा के दायित्व को स्वीकार करता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से राज्य द्वारा शिक्षा में निवेश, राष्ट्र की मानवीय पूँजी में निवेश के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के विकास व अनुभवों से यह पुष्टि हो चुकी है कि देश की समृद्धि, नारी शिक्षा, व्यक्तिगत आधुनिकता, राजनैतिक व्यवहार एवं सन्तानोत्पत्ति आदि का शिक्षा के प्रचार–प्रसार के साथ धनात्मक सम्बन्ध है। इस समझ के परिणामस्वरूप विकास के प्रत्येक आदर्श प्रारूपों ने शिक्षा को दलित महिलाओं के विकास की एक अनिवार्य कुँजी माना है। आज विश्व के विकासशील देशों के लिए नारी शिक्षा का सार्वभौमिक प्रसार एक विकास लक्ष्य है और भारत इसका अपवाद नहीं है। भारत में आज प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करने के लिए समय–समय पर योजनाओं का निर्माण कर रहा है।

शोध अध्ययन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य में दलित महिला शिक्षा के स्वरूप पर दृष्टि डालते हुऐ विभिन्न योजनाओं व उनके लिऐ चलाऐ जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों का अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में यदि अनुसूचित जाति की महिलाओं की शैक्षिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला जाये तो सर्वप्रथम

हमें इनके इतिहास पर एक नजर डालनी होगी क्योंकि इतिहास के पन्ने इस बात के साक्षी हैं कि इस वर्ग की महिलाओं को हमेशा शिक्षा से वंचित रखा गया है। वैदिक काल में वंचित समुदायों की महिलाओं की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी जितनी कि उसके पश्चात देखी गई जब मनुवादी व्यवस्था आयी तब इन महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना प्रारम्भ हो गया था। इस युग में इन महिलाओं को अशिक्षित एवं गूढ़ रखने के लिए मनु जैसे शास्त्रकारों ने नारियों को शिक्षित करने को पाप और अपराध करार दे दिया था। इसी कारण अन्धविश्वास, रूढ़ियों, परम्पराओं, अज्ञानता के शिकंजे में फँसी अनुसूचित जाति वर्ग की ये नारियाँ आज भी शिक्षा से काफी दूर हैं और इस अशिक्षा के कारण ही वह विभिन्न शोषणों का शिकार हो जाती थीं।

स्वतन्त्रता के बाद कुछ ऐसे समाज सुधारक अवश्य हुए जिन्होंने इन महिलाओं को शिक्षा का महत्त्व बताया और समाज में अपनी जगह बनाने के लिए आगे बढ़ने को कहा, क्योंकि शिक्षा के अभाव में ये महिलाएँ अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकती थीं और यदि करना भी चाहती थी तो समाज के कुछ अराजक तत्व इनको आगे बढ़ने से रोकते थे। स्वतन्त्रता से पूर्व गाँधी जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वंचित वर्ग की इन महिलाओं की शिक्षा प्राप्ति में सहायता की थी। इनके प्रयासों से अनुसूचित जाति वर्ग की बालिकाओं की साक्षरता दर में वृद्धि तो हुई परन्तु आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। उसके पश्चात दलितों के मसीहा कहे जाने वाले अम्बेडकर जी ने इन महिलाओं की दयनीय स्थिति को शिक्षा के माध्यम से सुधारने की बात कहीं और अनेकों प्रयास भी किये। जिससे इस वर्ग की महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि होनी लगी। आज उत्तर प्रदेश को यदि शिक्षा की दृष्टि से देंखे तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उत्तर प्रदेश के उन शहरो में उच्च शिक्षा का स्तर अच्छा है जहाँ 10 लाख से अधिक आबादी है। फिर चाहे वह सरकारी कॉलेज हो या निजी, क्योंकि इन बड़े शहरों में सरकार भी शिक्षा पर विशेष ध्यान देती है और आवश्यकता के अनुसार वह योजनाएँ भी बनाती है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बाहुल्य प्रदेश है यहाँ पर उद्योग व कल–कारखानों की संख्या भी नदारद हैं। यहाँ बन्दरगाह तटीय प्रदश भी नहीं है, जहाँ आयात–निर्यात को राज्य की आमदनी का जरिया बनाया जा सके। साक्षरता दर भी औसत 58 प्रतिशत है तथा प्रतिव्यक्ति की आय भी कम है। परन्तु इस राज्य के पास जो संसाधन प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं वह है कार्यशील जनसंख्या। भारत सरकार ने समय–समय पूरे देश में अनेक कल्याणकारी तथा रोजगारपरक योजनाओं का कार्यान्वयन किया इससे उत्तर प्रदेश भी लाभान्वित हुआ। ट्राईसेम स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना, पुरा, आदि इसके उदाहरण कहे जा सकते है परन्तु मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना उत्तर प्रदेश के परिवेश में सर्वाधिक अनुकूल तथा सहज प्रतीत होती है।

मनरेगा का उत्तर प्रदेश में विश्लेषण करें तो देखेंगे कि मनरेगा में कार्यरत या पंजीकृत परिवारों की संख्या 21 प्रतिशत है। (स्त्रोत एन.एस.एस.ओ 2009–2010) जबकि निर्धनता तथा सामाजिक वंचित समूह का प्रतिशत पंजीकृत परिवार (21प्रतिशत) से कही ज्यादा है अर्थात् मनरेगा ने लोगों को कार्य तो दिया है लेकिन अभी भी सभी निर्धन परिवारों को रोजगार नहीं दे पा रहा है। मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता का अवलोकन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में करें तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं की मनरेगा मे भागीदारी ज्यादा है। वही सामान्य वर्ग की बहुत कम है, इसका कारण सामाजिक संरचना अथवा स्तरीकरण है। राज्यों की सहभागिता में अंतर वहाँ के आधारभूत ढाँचे के साथ–साथ सामाजिक जागरूकता का, शिक्षा के स्तर का तथा एन.जी.ओ. एवं स्वयं सहायता समूहों की कहीं कम तो कही ज्यादा सक्रियता है। जहाँ पर सक्रियता ज्यादा है वहाँ मनरेगा में भागीदारी भी ज्यादा है।

दलित महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

आजादी के बाद से गाँवो में बसते भारत की दशा सुधारने के लिए हमारी सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक कल्याणकारी योजनाएँ लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चलाई गई। शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं में कुशल श्रमिकों के लिए कुछ मापदण्ड निर्धारित किये गये है जैसे शहरी रोजगार हेतु कार्यक्रम 1986, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना 1997, प्रधानमंत्री की शिक्षित बेरोजगार युवकों हेतु रोजगार योजना 1995, नेहरू रोजगार योजना 1989 आदि। सामाजिक समावेशन तथा उत्थान के लिए भी अनेक कल्याणकारी योजनाए चलाई गई जैसे– इंदिरा आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, आम आदमी बोमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम आदि।

महिलाओं को भी अन्य लोगों के समान समानता के स्तर पर लाने और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में सहायता करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को शिक्षा व कल्याण के लिए विशेष योजनाओं का प्रबन्ध किया गया है। विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुऐ विभिन्न मंत्रालय भी स्थापित किये गये हैं।

महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक कल्याण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं जिसमें महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सकें तथा सामाजिक स्तर पर भी उन्हें समानता प्राप्त हो सके। केन्द्र सरकार ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा महिला को दिशा देने का प्रयास किया है। समेकित बाल विकास सेवा योजना, ड्वाकरा योजना, रोजगाार और प्रशिक्षण योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीय महिला आयोग, बिल योजना नारोड़ प्रशिक्षण योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, महिला स्वयंसिद्धा योजना, किशोरी शक्ति योजना, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना, महिला समृद्धि योजना, जननी सुरक्षा योजना, वन्दे मातरम् योजना आदि इसके अलावा केन्द्र ने राज्य के सहयोग से कन्यादान योजना, कन्या विद्याधन योजना, पंचधारा योजना, इन्दिरा सूचना शक्ति योजना, राजलक्ष्मी योजना, कामधेनु योजना, राजराजेश्वरी बीमा योजना आदि का संचालन किया है।

महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इन समूहों को साधन प्रदान किये जा रहे हैं। समाज की विभिन्न असहाय एवं निराश्रित महिलाओं को नैतिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर रक्षाग्रह व उत्तर ग्रह प्रवेश द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन ग्रहों की क्षमता 100 सवासिनियों की है। जिन्हें सामान्य शिक्षा के साथ कढ़ाई, बुनाई, सिलाई आदि विभिन्न दस्तकारी व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वावलम्बी बनकर समाज में पुनवार्सित हो, सेवासिनियों के लिए इन ग्रहों में निःशुल्क आवास, भोजन की व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है यहाँ सेवासिनियों के विवाह कराने व रोजगार प्राप्त कराने में भी प्रयास किया जाता है।

उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम

महिला उद्यमियों के प्रशिक्षण, व्यवसाय लगाने हेतु ऋण उपलब्धता तथा उत्पादित वस्तुओं के विपणन के उद्देश्य से महिला कल्याण निगम की योजनाएँ सहायता करती हैं। प्रशिक्षण की योजनान्तर्गत प्रदेश की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के पारम्परिक व कला–कौशल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अब तक 700 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। मार्जिन मनी ऋण योजनान्तर्गत अपना व्यवसाय लगाने की इच्छुक महिलाओं को बत्तीस हजार से दो लाख रुपये की उनकी परियोजना पर अधिकत्तम तीस हजार रुपये मार्जिनी मनी ऋण सादे सात प्रतिशत ब्याज पर दिये जाते हैं। अब तक इस योजना से 32 महिलाएँ लाभ प्राप्त कर चुकी हैं। विपणन सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विपणन सहायता की सुविधाओं सहित प्रदेश के बाहर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है तथा ऐसी 16 प्रदर्शनियाँ आयोजित हो चुकी हैं। एकल श्रम जीवी महिला आवास की योजना अन्तर्गत श्रम जीवी महिलाओं को स्वच्छ सुरक्षित व सस्ते कक्ष उपलब्ध कराऐ जाते हैं जो वर्तमान में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसो, फैजाबाद हल्द्वानी तथा आगरा से संचालित किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड

इस संस्था के अन्तर्गत परिवार परामर्श केन्द्र कार्यक्रम तथा प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम, प्रौढ़ महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, निर्धन एवं ग्रामीण महिलाओं के लिए जागरूकता प्रसार परियोजना, वैश्याओं के बच्चों की शिक्षा एवं कल्याण हेतु प्रयास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

अनुसूचित जाति व जनजाति की महिला एवं सलाहकार बोर्ड

अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं तथा बच्चों के विकास से सम्बन्धित नीति के निर्माण हेतु व्यापक मार्गदर्शन के लिए 29 अगस्त 1986 से एक सलाहकार बोर्ड कार्य कर रहा है। अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक प्रगति में विभिन्न गैर–सरकारी संगठन महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे है। इस प्रकार के कुछ अखिल भारतीय संगठन निम्नवत हैं– "हरिजन सेवक संघ– दिल्ली, भारतीय रेडक्रास सोसायटी– दिल्ली, हिन्दी सफाई कर्मचारी सेवक समाज– नई दिल्ली, रामकृष्ण मिशन– नरेन्द्रपुर, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ– नई दिल्ली, आन्ध्र राष्ट्र आदिम जाति सेवक संघ, चैरापूँजी, राँची, पुरी, सिलचर, शिलांग और पुरूलिया, भारतीय समाज उन्नति मण्डल बिलवण्डी (महाराष्ट्र); ठक्कर बाप्पा आश्रम, सर्वेन्ट ऑफ इण्डिया सोसाइटी, तिलोनिया (राजस्थान), अनुसूचित जाति व जनजाति के बीच काम करने वाले गैर–सरकारी स्वयंसेवी संगठनों को सरकार अनुदान देती है।"[1]

महिला समृद्धि योजना

यह योजना 2 अक्टूबर 1993 से प्रारम्भ हुई इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं में आर्थिक स्वतन्त्रता, आत्मविश्वास एवं बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाना है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की व्यस्क महिला अपने डाकघर में 4 रु. अथवा गुणांक किन्तु अधिकतम 300 रु. से खाता खोल सकती है जिस पर एक वर्ष की अवधि के पश्चात 25 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है।

बालिका समृद्धि योजना

यह योजना नवम्बर 1997 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई है इसके अन्तर्गत गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार में पुत्री के जन्म पर 300रु. का एक मुश्त अनुदान दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित शिक्षा की योजनाएँ

उत्तर प्रदेश को यदि हम शिक्षा की दृष्टि से देंखे तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में शिक्षा स्तर भी भिन्न–भिन्न प्रकार का है उत्तर प्रदेश के उन शहरो में उच्च शिक्षा का स्तर अच्छा है जहाँ 10 लाख से अधिक आबादी है। फिर चाहे वह सरकारी कॉलेज हो या निजी, क्योंकि इन बड़े शहरों में सरकार भी शिक्षा पर विशेष ध्यान देती है और आवश्यकता के अनुसार वह योजनाएँ भी बनाती है। सर्वेक्षण में शामिल तीन चौथाई लोगों को इस बात का सन्तोष है कि उनके शहरों में पर्याप्त शिक्षण संस्थान हैं। 62 प्रतिशत लोग मानते हैं कि उनके शहर में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षण संस्थानों का स्तर, शैक्षिक संसाधन, रिसर्च रिपोर्ट, शिक्षक छात्र अनुपात और शिक्षकों का कामकाज ठीक–ठीक है। इनमें लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद जैसे शहर शामिल हैं। लेकिन ये आँकड़े छोटे अर्थात 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए लागू नहीं होते हैं। मुरादाबाद, गोरखपुर जैसे शहरों के लिए लोगों की सन्तुष्टि औसत से कम है। शिक्षा का स्तर बेशक अच्छा हो लेकिन यहाँ के 50 प्रतिशत लोगों का मानना है कि ये डिग्रियाँ उन्हें रोजगार दिलाने में बेमानी साबित हो रही हैं।

"1986 की नीति में कहा गया है कि एस.सी. की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ताकि वे गैर–अनुसूचित जाति की बराबरी तक पहुँच सके। इसके लिए उनको प्रोत्साहन दिये जायेगें, मैट्रिकपूर्व वजीफे दिये जायेगें, छात्रावासों में इस समूह की बालिकाओं को सुविधाएँ दो जायेंगी, साथ ही इस दिशा में कार्य पर निगरानी रखी जायेगी ताकि इस समूह के विद्यार्थियों के नामांकन, प्रतिधारण व शिक्षा पूरी करने जैसे कार्यों में कमी न आये।"[2]

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम

इस योजना का प्रारम्भ 1991 में फतेहपुर में किया गया था इसके अन्तर्गत 15–35 आयु वर्ग की अनपढ़

महिलाओं को साक्षर बनाना था। ये कार्यक्रम माइक्रो लर्निंग के माध्यम से कई जिलों में प्रसारित किया गया।

पूर्व दशमोत्तर छात्रवृति योजना

सरकार द्वारा यह योजना 13 मई 2004 को प्रारम्भ की थी। इस योजना में प्रदेश के पिछड़े वर्ग के छात्राओं शैक्षिक अभ्युत्थान हेतु प्रयास किया गया था। साथ ही साथ इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग की उन छात्राओं को उनकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिनके माता–पिता की या अभिभावकों की मासिक आय 25,000 है।

दशमोत्तर छात्रवृति योजना

यह योजना पिछड वर्ग की उन छात्राओं के लिए थी जिनके माता–पिता की वार्षिक आय एक लाख रूपये थी। इस योजना की शुरूआत पिछड़े वर्ग की छात्राओं की उच्च शिक्षा की अभिलाषा को पूर्ण करने की संकल्पना के साथ वर्ष के 2004 में प्रारम्भ की गयी।

अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए छात्रावास योजना

विभिन्न हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय में पड़ने वाली अनुसूचित जाति की लड़कियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान की गयी है और इस कार्य में सहयोग करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार दोनों को आदेश भी दिये गये हैं और आदेशानुसार छात्रावास भवन के निर्माण में होने वाले व्यय में केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों ही सहायता करती हैं जिससे की इस वर्ग की अधिकतर महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जा सके।[3]

साक्षर भारत कार्यकम

भारत देश के प्रधानमंत्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितम्बर 2009 को साक्षर भारत कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इस योजना का उद्देश्य महिला साक्षरता दर में वृद्धि कर उन्हें पुरूषों के बराबर लाना है।

1. इस योजना के अन्तर्गत आगामी तीन वर्षों में प्रत्येक महिला को साक्षर बनाने के लिए नियमानुसार महिला साक्षर कार्यक्रम का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला साक्षरता कार्यक्रम का संचालन।
2. ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामपंचायत की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति।
3. ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लॉक लोक शिक्षा समिति।
4. इसी प्रकार जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण। इसके अलावा इण्टर मीडिएट के प्रत्येक छात्र– छात्रा को पुरस्कार के रूप में तीन हजार रूपये की धनराशि दी जायेगी।

साबित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये योजना 20 जनवरी 2009 को प्रारम्भ की गयी।

साबित्री बाई फूले बालिका कल्याण योजना

बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा में प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्राविधिक शिक्षा विभाग की डिप्लोमा स्तरीय राजकीय संस्थाओं में उपरोक्त योजना शैक्षणिक सत्र 2010–2011 के प्रथम वर्ष की छात्राओं पर लागू किये जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। एक वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 1000, दो वर्षीय पाठ्यक्रम के पथम वर्ष में साइकिल तथा दूसरे वर्ष में 15,000रू० तथा तृतीय वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में साइकिल, द्वितीय वर्ष में 10,000 तृतीय वर्ष में 15,000 रू० देने की व्यवस्था की गयी।

कन्या विद्या धन योजना

इस योजना का प्रारम्भ ग्रामीण एवं शहरी तबके की गरीब बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किया गया था। इसमें गरीब, दलित व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं को चयनित किये जाने का प्रावधान रखा गया। इन चयनित छात्राओं में जो आगामी वर्षों में कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण कर पायेगी उनमें से प्रत्येक को 20 हजार रू० की एकमुश्त धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जायेगी। इस महत्त्वाकांक्षी योजना पर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 200 करोड़ की धनराशि खर्च करेगी।

डॉ. अम्बेडकर शैक्षिक पारितोशिक योजना

इस योजना के अन्तर्गत भी उच्च शिक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वालीं छात्राओं को 40 हजार की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी।

अब्बल नम्बर पुरुस्कार योजना

यह योजना नगरीय क्षेत्र की मलीन बस्तियों में रहने वाली वे छात्राएँ जिन्होंने दसवीं, बारहवीं कक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किये हो उनको पुरस्कृत किये जाने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2002 को प्रारम्भ की गयी।

निष्कर्ष

भारत सरकार ने समय–समय पूरे देश में अनेक कल्याणकारी तथा रोजगारपरक योजनाओं का कार्यान्वयन किया इससे उत्तर प्रदेश भी लाभान्वित हुआ। ट्राईसेम स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना, पुरा, आदि इसके उदाहरण कहे जा सकते है परन्तु मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना उत्तर प्रदेश के परिवेश में सर्वाधिक अनुकूल तथा सहज प्रतोत होती है। मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता का अवलोकन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में करें तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं की मनरेगा मे भागीदारी ज्यादा है। मनरेगा ने लोगों को कार्य तो दिया है लेकिन अभी भी सभी निर्धन परिवारों को रोजगार नहीं दे पा रहा है। कुछ परिवार तो इसका पूरा लाभ प्राप्त कर रहे हैं साथ ही उनकी पीढ़ी भी लाभान्वित हो रही है परन्तु कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनको इस प्रकार की योजनाओं के विषय में कोई जानकारी नहीं हैं, और वे इनके लाभ से वंचित है । सरकार को चाहिए कि वह इस प्रकार की योजनाएँ बनाए जिससे सभी को बराबर की सुविधाएँ प्रदान हो सके। गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे दलित परिवारों के लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर यह सोच विकसित हो कि वह अकेला इन योजनाओं का लाभ

उठाने का प्रयास न करे वरन् सभी को इनसे लाभ उठाने का अवसर प्रदान करे। उसे यह भी प्रयास करना चाहिए कि यदि किसी को इन योजनाओं की जानकारी नही है तो उनको इनके बारे में बताये जिससे कि वह भी इनका लाभ उठा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. पूरणमल, 2002 "दलित सघंर्ष और सामाजिक न्याय", आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, पृष्ठ संख्या 172–173, वोल्यूम 1।
2. सुभाष शर्मा 2001 "भारत में शिक्षा व्यवस्था; अवधारणाएँ, समस्यायें एवं सम्भावनाएँ "वाणी प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ संख्या 105, वोल्यूम 1।
3. डॉ. पूरणमल, 2002 " दलित सघंर्ष और सामाजिक न्याय", आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, पृष्ठ संख्या–170, वोल्यूम 1।